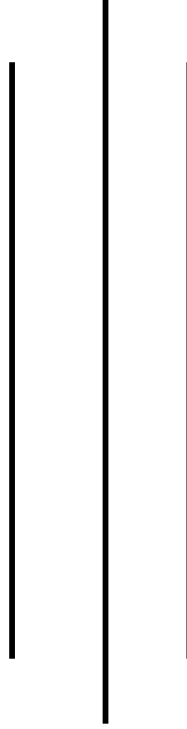




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या-04 / 2026

झारखण्ड प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा – 2026
(नियमित भर्ती)

JTAACCE-2026 (Para Teacher)
(Regular Vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 4411, दिनांक-07.07.2026 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग के पत्रांक-1118 दिनांक-03.07.2026 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में “झारखण्ड प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा – 2026 (नियमित भर्ती)” के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर लॉगइन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

(क) परीक्षा शुल्क रु. 100/- (सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट – झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/- (पचास रुपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8559, दिनांक-23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(ख) आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-05/2026 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 1198 है। विज्ञापन संख्या 04/2026 एवं 05/2026 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3. रिक्तियों का विवरण :-

(क) इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5) (नियमित रिक्ति)

इण्टर प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण							आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (6 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ. ज. जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निश्चक्ता	बहरापन एवं श्रवण निश्चक्ता	चलन निश्चक्ता	स्त्रीलिंग एवं बहु निश्चक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS	कुल			
चतरा	39	7	16	0	0	6	68	2	1	1	1	5	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
बोकारो	24	6	8	0	0	4	42	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
देवघर	26	7	7	0	0	4	44	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
धनबाद	36	7	12	0	0	6	61	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
दुमका	70	79	8	0	0	17	174	3	3	3	2	11	4	4	0	0	0	1	9	8	1	3
गिरिडीह	78	23	25	0	0	19	145	3	2	2	2	9	4	1	1	0	0	1	7	7	0	2
गढ़वा	10	4	5	0	0	2	21	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
पूर्वी सिंहभूम	47	32	4	0	0	9	92	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
गोड्डा	34	21	6	0	0	6	67	2	1	1	1	5	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	51	59	4	0	0	12	126	2	2	2	1	7	3	3	0	0	0	1	7	6	1	2
हजारीबाग	33	3	16	0	0	5	57	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1
खूंटी	33	36	4	0	0	7	80	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
जामताड़ा	28	22	6	0	0	6	62	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
कोडरमा	16	3	6	0	0	2	27	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	18	14	8	0	0	4	44	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
लोहरदगा	18	21	1	0	0	4	44	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पाकुड़	25	23	3	0	0	5	56	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
पलामू	25	5	16	0	0	5	51	2	2	2	1	7	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
रामगढ़	6	4	1	0	0	1	12	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रांची	75	50	6	0	0	14	145	2	2	1	1	6	4	3	0	0	0	1	8	7	1	2
साहेबगंज	42	39	5	0	0	9	95	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सरायकेला— खरसावाँ	46	43	5	0	0	10	104	2	2	1	1	6	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
सिमडेगा	36	38	6	0	0	8	88	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
पश्चिम सिंहभूम	82	94	8	0	0	20	204	3	3	2	2	10	4	5	0	0	0	1	10	10	1	4
कुल	898	640	186	0	0	185	1909	38	33	28	24	123	46	31	5	0	0	6	88	87	4	26

(ख) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – भाषा ज्ञान (नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण							आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (6 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ. ज. जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्ता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	स्त्रीलता एवं बहु निःशक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS	कुल			
चतरा	46	7	20	1	11	9	94	1	1	1	1	4	2	0	1	0	1	0	4	4	0	1
बोकारो	26	8	10	0	5	5	54	1	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
देवघर	42	12	12	2	11	8	87	1	1	1	1	4	2	1	1	0	1	0	5	4	0	1
धनबाद	35	6	12	2	8	6	69	1	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
दुमका	54	60	6	0	0	13	133	2	2	1	1	6	3	3	0	0	0	1	7	6	1	2
गिरिडीह	77	24	25	10	18	16	170	2	2	2	1	7	4	1	1	1	1	1	9	8	0	3
गढ़वा	30	10	16	0	0	6	62	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
पूर्वी सिंहभूम	40	25	3	0	6	8	82	1	1	1	1	4	2	1	0	0	0	0	3	4	0	1
गोड्डा	32	20	6	0	5	6	69	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	35	41	2	0	0	8	86	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
हजारीबाग	31	2	15	0	5	5	58	1	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1
खूंटी	18	20	2	0	0	4	44	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
जामताड़ा	25	20	5	0	0	5	55	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
कोडरमा	17	2	2	2	4	2	29	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	25	18	12	0	0	5	60	1	1	1	0	3	1	1	1	0	0	0	3	3	0	1
लोहरदगा	12	13	1	0	0	2	28	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पाकुड़	21	22	2	0	0	4	49	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पलामू	95	16	60	5	12	20	208	3	2	2	2	9	5	1	3	0	1	1	11	10	0	4
रामगढ़	14	5	3	0	2	2	26	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
रांची	40	45	5	0	0	10	100	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
साहेबगंज	30	25	3	0	0	6	64	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
सरायकेला— खरसावाँ	40	38	5	0	2	9	94	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सिमडेगा	18	19	3	0	0	4	44	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पश्चिम सिंहभूम	42	48	3	0	0	10	103	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
कुल	845	506	233	22	89	173	1868	29	27	20	11	87	45	24	11	1	4	5	90	84	1	26

(ग) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – सामाजिक विज्ञान
(नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण						आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (5 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ.ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)	
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्ता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	स्वलीनता एवं बहु निःशक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS				कुल
चतरा	7	2	2	0	0	1	12	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बोकारो	5	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देवघर	9	2	3	0	0	1	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
धनबाद	7	1	2	0	0	0	10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुमका	26	29	3	0	0	6	64	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
गिरिडीह	19	6	5	0	0	3	33	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
गढ़वा	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वी सिंहभूम	24	20	1	0	0	4	49	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
गोड्डा	12	7	2	0	0	2	23	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
गुमला	19	22	1	0	0	4	46	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
हजारीबाग	6	1	1	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खूंटी	10	11	1	0	0	2	24	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
जामताड़ा	17	13	4	0	0	3	37	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
कोडरमा	4	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लातेहार	9	8	3	0	0	2	22	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
लोहरदगा	2	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाकुड़	11	10	1	0	0	2	24	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पलामू	24	5	15	0	0	4	48	2	1	1	1	5	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0
रामगढ़	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रांची	9	7	0	0	0	1	17	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
साहेबगंज	21	19	3	0	0	4	47	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
सरायकेला – खरसावाँ	32	28	4	0	0	6	70	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
सिमडेगा	16	6	0	0	0	3	25	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
पश्चिम सिंहभूम	26	30	2	0	0	6	64	1	1	1	0	3	1	2	0	0	0	0	3	3	0	1
कुल	318	232	56	0	0	54	660	25	15	6	2	48	14	10	1	0	0	0	25	24	0	3

(घ) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – विज्ञान एवं गणित
(नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित एवं विज्ञान (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण						आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (६ प्रतिशत)	आदिम जनजाति (२ प्रतिशत अ.ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (२ प्रतिशत)	
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्ता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	बहु निःशक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS				कुल
चतरा	40	8	20	8	8	9	93	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	4	0	1
बोकारो	3	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देवघर	22	6	6	6	5	`	45	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1
धनबाद	11	2	4	4	3	2	26	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
दुमका	48	53	6	0	0	11	118	2	1	1	1	5	2	3	0	0	0	1	6	5	1	2
गिरिडीह	71	24	25	4	10	14	148	2	2	1	1	6	4	1	1	0	1	1	8	7	0	2
गढ़वा	30	10	18	5	2	7	72	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
पूर्वी सिंहभूम	29	25	4	0	4	6	68	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	3	1	1
गोड्डा	33	20	6	2	4	7	72	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	41	2	45	0	0	9	97	1	1	1	1	4	2	0	2	0	0	0	4	4	0	1
हजारीबाग	24	2	15	0	5	4	50	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
खूंटी	21	20	0	0	0	4	45	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
जामताड़ा	26	22	5	0	0	5	58	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
कोडरमा	17	3	8	5	2	3	38	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	30	20	14	0	0	6	70	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
लोहरदगा	13	15	1	0	0	3	32	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पाकुड़	25	22	2	0	1	5	55	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
पलामू	95	15	60	6	10	20	206	3	2	2	2	9	5	1	3	0	1	1	11	10	0	4
रामगढ़	10	5	3	0	1	2	21	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
रांची	18	17	2	0	0	4	41	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
साहेबगंज	27	25	3	0	1	6	62	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
सरायकेला – खरसावाँ	37	35	5	0	2	8	87	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सिमडेगा	20	20	3	0	0	4	47	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पश्चिम सिंहभूम	45	50	3	0	0	10	108	2	1	1	1	5	2	3	0	0	0	1	6	5	1	2
कुल	736	422	259	40	58	149	1664	29	24	16	8	77	38	21	10	0	2	4	75	72	3	22

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

➤ **टिप्पणी:** अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

➤ **टिप्पणी:** विधि (विज्ञान) विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या एल.जी.-13/2023-21/लेज. दिनांक 22.04.2025 के द्वारा प्रावधानित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 1938 दिनांक 20.04.2021 की कंडिका-2(vi) के अनुसार झारखण्ड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। जिला अथवा अंचल स्तर से निर्गत आंदोलनकारी एवं आंदोलनकारी के आश्रित से संबंधित वैध प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

5. कंडिका – 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) (कक्षा 1 से 5)	लेवल- 4 25,500 /- से 81,100 /-	<p>प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो:-</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार सत्र 2007-2009 तक प्राप्त किया गया हो।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)</p> <p>एवं</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।</p> <p>साथ ही, झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।</p>

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
2.	<p>स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)</p> <p>गणित एवं विज्ञान शिक्षक (पारा कोटि) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी/ कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।</p>	<p>लेवल- 5</p> <p>29,200 /- से 92,300 /-</p>	<p>उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 में) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:-</p> <p>स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों,</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो,</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड. (BA, BSC,Ed.) या बी.ए. एड. (BA,Ed.)/बी.एस.सी. एड. (BSC,Ed.)</p> <p>अथवा</p>
3.	<p>स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)</p> <p>सामाजिक विज्ञान शिक्षक (पारा कोटि) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/ मानविकी/ सामाजिक विज्ञान /वाणिज्य /प्रबंधन विषय में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों।</p>		

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
4.	<p>स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)</p> <p>भाषा शिक्षक (पारा कोटि) – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण।</p>		<p>न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.</p> <p>एवं</p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।</p> <p>साथ ही, झारखण्ड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं झारखण्ड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।</p>

वांछित शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। आवेदन में भरे गए प्रविष्टि से इतर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग- अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग- अनुसूची-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (iii) अभ्यर्थी जिस विषय/ विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/ विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य (पारा कोटि) पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (iv) अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

- (v) जेटेट/अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा।
- (vi) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/तृतीय स्थान
2.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर उपलब्ध है।

6. अनुभव :- विज्ञापन अन्तर्गत सभी पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, के लिए आरक्षित रहेंगे।

पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा एवं कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट **XV** एवं परिशिष्ट **XVI** में धारित है।

7. पारा अभ्यर्थियों के लिए उम्र की गणना 01.08.2026 के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

(क) न्यूनतम उम्र सीमा - 21 वर्ष (दिनांक 01.08.2026 के आधार पर)

(ख) अधिकतम उम्र सीमा –

- | | | | |
|-------|--|---|----------|
| (i) | अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | — | 35 वर्ष। |
| (ii) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) | — | 37 वर्ष। |
| (iii) | महिला [अनारक्षित, आ.क.व., अ.पि.व. (अनु.-1)
एवं पि.व. (अनु.-2)]] | — | 38 वर्ष। |
| (iv) | अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) | — | 40 वर्ष। |
| (v) | अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) | — | 40 वर्ष। |

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सामान्यतः मान्य करने पर आयोग विचार करेगा।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, को संविदा कर्मियों के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

8. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:—

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट— XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका—(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

9. **I.** परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि

इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिका-5, 6, 7 एवं 8 में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

10. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

11. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-VIII** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IX** पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. (II) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-I** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-II** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट- III** पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IV** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-V** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-VI** पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (**परिशिष्ट-VII**) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्य/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

- (ज) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (Spelling)

मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (Spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट किए गए प्रमाण-पत्र को जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र (जाति, स्थानीय एवं अन्य प्रमाण पत्र) मान्य नहीं होंगे।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर जाएँ एवं Online Application for **JTAACCE-2026 (Para Teacher)** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :-

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक— 31.07.2026 से दिनांक— 30.08.2026 की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक— 01.09.2026 की मध्य रात्रि तक।
- ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक— 03.09.2026 की मध्य रात्रि तक।
- घ) दिनांक— 05.09.2026 से दिनांक— 07.09.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

15. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक- 05.09.2026 से दिनांक- 07.09.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JTAACCE -2026 (Para Teacher)** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. परीक्षा का स्वरूप :-

आयोग द्वारा ओ.एम.आर./कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ली जायेगी, यदि किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर प्रकाशित फॉर्मूला के अनुसार किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

(क) परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंको की कटौती नहीं की जायेगी।

18. मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम :-

(क) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 03 पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा - हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	50	50	3:00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान-	75	75	
	(iii) विज्ञान एवं गणित-	75	75	
कुल		300+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	300+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:- पत्र-1 सभी कोटि के अभ्यर्थियों को माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-XII** पर धारित है।
- ग) पत्र-3 के खण्ड (i) में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 (घ) (i से vi) तथा पत्र-3 के खण्ड (ii) एवं (iii) में अंकित विषय के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।
- घ) **सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी :-**

(i) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) सामान्य विज्ञान:-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा

कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(iii) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(v) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(vi) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

ड) **सामाजिक विज्ञान** – झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।

च) विज्ञान एवं गणित – झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।

18. (ख) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 04 पत्र होंगे। यह परीक्षा चार पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरटा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत में से कोई एक भाषा (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा – हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरटा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	100	100	2:00 घंटे
पत्र-4	वैकल्पिक विषय (कोई एक)-			
(I)	गणित एवं विज्ञान शिक्षक-(i) गणित (ii) भौतिकी (iii) रसायनशास्त्र (iv) वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेंगे) नोट:-उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	3:00 घंटे
(II)	सामाजिक विज्ञान शिक्षक-(i) इतिहास (ii) भूगोल (iii) राजनीति विज्ञान (iv) अर्थशास्त्र (v) समाज शास्त्र (vi) लेखा शास्त्र (vii) व्यापार अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा जिसमें किसी तीन खण्डों को ही उत्तर देना होगा। नोट:- उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के	180	180	

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
	आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।			
(III)	भाषा शिक्षक— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा—हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट:—उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	
कुल		380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:— पत्र-1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIII** पर धारित है।
- ग) पत्र-3 का पाठ्यक्रम इण्डटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किन्तु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा।
- घ) पत्र-4 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIV** पर धारित है।
- ङ) पत्र-4 के अन्तर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIII** के अनुरूप होगा।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ जाति प्रमाण/स्थानीय प्रमाण/अनुभव प्रमाण पत्रों इत्यादि अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।
- (iv) मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड सरकार द्वारा तय मापदण्डों के अनुरूप की जायेगी।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- | | |
|---|-------------------------------|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला- | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -(अनुसूची-1) | — 34 (चौत्तीस) प्रतिशत |
| (iv) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (v) आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधासूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

ऑनलाईन आवेदन में किए गए मेधा-सह-विकल्प के आलोक में अंतिम चयन किया जाएगा।

- (vi) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (vii) जेटेट/अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-19 के आधार पर मेधासूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधधीन होगी।

22. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना एवं आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
 - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
 - (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
 - (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम एवं स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट—(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि.
—19-11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला

.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....

अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट—(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.-03-13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....थाना.....
जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा- 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट (III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परि
सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.. पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली
हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक— 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक— 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

- मैं पिता
- पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
- पोस्ट थाना
- अंचल जिला राज्य
- एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।
2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल
के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।
5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03—13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्रियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन
पिछड़े वर्ग (अनुसूची—I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को
माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल
..... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ—3 में
उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—3482 दिनांक—
10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.
1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता—पिता द्वारा किये
गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए
वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या—15) संलग्न
करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

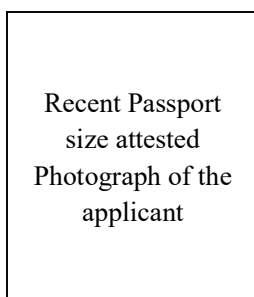
Date

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari
son/daughter/wife of permanent resident of
..... village/street post office
..... District in the State/Union Territory
Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8
Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family
does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the
..... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/
EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड
का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता/पति श्री..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर.....

पो०.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी

हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के
संकल्प संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016 की कड़िका— में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

परिशिष्ट—(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 5752 दिनांक— 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री....
..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो0.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण
पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198
दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत
किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित
प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—(X)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध—1

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी
की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त—

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (i) दोनो टांगे (बी.एल.) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी.ए.) — दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी.एल.ए.) — दोनों टांगे और बाहें प्रभावित
(iv) एक टांग (ओ.एल.) — एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(v) एक बांह (ओ.ए.) एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी.एच.)— पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन.डब्ल्यू.) — मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

- (i) बी.— अंधापन
(ii) पी. बी.— आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी.— बधिर
(ii) पी. डी.— आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।.....वर्षों.....
महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते/करती है:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी. पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के. सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी –झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii)एस. टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii)डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट (XI)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/सिविल
सर्जन द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो जो
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
पहचान चिन्ह.....स्थायी पता
..... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया।
जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी शारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट— प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विशेषज्ञ)

कुडुख (kudukh)

1. व्याकरण — संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।

2. साहित्य—गद्य साहित्य—

जतरा अप सेन्दरा — बिरसा भगत

कुडुखर गही नेग अरा धरम — जम्बुआ कुजूर

अंजेला— इग्नेस कुजूर

राय साहब बंदीराम उराँव — अहलाद तिकी।

रुइदास कुडुख बेलस — ए. ग्रिगनाड

टना भगतर — डॉ. फिलिप एक्का

पद्य साहित्य —

जड़ी पेल्लो — दवले कुजूर

जतरा — डब्ल्यू जी० आर्चर

खेड्ड चम्बी —डॉ० निर्मल मिंज

रासी सुकखे गही —दवले कुजूर

अलखा अमके — जस्टिन एक्का

खद्द परिया — पदम् श्री जुवेल लकड़ा

कुडुख लोक साहित्य, लोक गीत, कहानी एवं निबंध

हिन्दी

पुस्तक — आरोह भाग—2

काव्य खण्ड

1. आत्म परिचय, दिन जल्दी—जल्दी ढलता है— हरिवंश राय बच्चन
2. पतंग — आलोक धन्वा
3. कविता के बहाने, बात सीधी थी पर — कुँवर नारायण
4. कैमरे में बंद अपाहिज— रघुवीर सहाय

5. सहर्ष स्वीकार है — गजानन माधव मुक्तिबोध
6. उषा — शमसेर बहादुर सिंह
7. बादल राग — निराला
8. कवितावली — तुलसीदास
9. रूबाइयाँ गजल — फिराक गोरखपुरी
10. छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख — उमाशंकर जोशी

गद्य खण्ड

11. भक्तिन — महादेवी वर्मा
12. बजार दर्शन — जैनेन्द्र कुमार
13. काले मेघा पानी दे — धर्मवीर भारती
14. पहलवान की ढोलक — फणीश्वर नाथ रेणु
15. चार्ली—चैप्लिन यानी हम सब — विष्णु खरे
16. नमक — रजिया सज्जाद जहीर
17. शिरीष के फूल — हजारी प्रसाद द्विवेदी
18. धर्म विभाजन और जातिप्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज — भीमराव अम्बेडकर

पुस्तक—वितान भाग—2

1. सिल्वर वैडिंग — मनोहर श्याम जोशी
2. जूझ — आनन्द यादव
3. अतीत के दबे पाँव — ओम थानवी
4. डायरी के पन्ने — ऐन फ्रैंक

जनसंचार माध्यम

रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र टिप्पणी, समाचार, संपादकीय।

व्याकरण

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबन्ध लेखन, पत्रलेखन, विशेष लेखन।

English Language and Literature

1. Language

- Error Recognition

- Fill in the Blanks
- Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, voice, Preposition.
- Synonyms
- Antonyms
- Idioms & Phrases
- Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** The Inheritance of Loss – Kiran Desai; Death of a Salesman- Arthur Miller; Robinson Crusoe- Daniel Defoe; Sense and Sensibility- Jane Austen; He Who Rides a Tiger- Bhawani Bhattacharya.
- **Drama** – The Merchant of Venice- William Shakespeare; Arms and the Man- G.B. Shaw; Tara- Mahesh Dattani; The Way of the World- William Congreve.
- **Poetry** – Sonnet 60- William Shakespeare; The Rainbow-William Wordsworth; Home Thoughts from Abroad- Robert Browning; Lead Kindly Light – Cardinal Newman; Preface to In Memoriam – Alfred Lord Tennyson; Where The Mind is Without Fear – Rabindranath Tagore; Essay on Man-Alexander Pope; The Harp of India- H.L.V. Derozio
- **Short Stories** – The Necklace- Guy De Maupassant (Trans); An Astrologer's Day- R.K. Narayan; The Home Coming- Rabindranath Tagore; A Cup of Tea- Katherine Mansfield; Mrs. Adis-Sheila Kaya Smith; God Sees the Truth, But Waits-Leo Tolstoy.
- **Essay-** A Slip of The Tongue- J.E.B. Gray; God sees the Truth, But Waits- Leo Tolstoy; The English Gentleman- Mahatma Gandhi; The Bottle Imp- R.L. Stevenson; Opportunity for Youth- Jawaharlal Nehru; A Call To Youth- S. Radhakrishnan; On Travel by Train- J.B. Priestley.
- **History of the English Language:** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language – Joseph Willies.
- **Phonetics** – A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course In Phonetics- P. Ladefoged.

Urdu

1. Prose

I. Haj-e-Akbar - Premchand (Story)

- II. Bhola - Rajinder Singh Bedi (Story)
 III. Chhauti ka Joda - Asmat Chughtai.

2. Urdu Poem

- I. Jugnoo - Iqbal
 II. Kaljug - Nazeer Akbarbadi
 III. Mustaqbil - Akbar Allahabadi
 IV. Khak-e-Hind - Pandit Brijnarayan Chakbast.

3. Urdu Grammar

- I. Gender
 II. Singular
 III. Plural
 IV. Meaning
 V. Opposite.

कुरमाली

- व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, पहेली (बुझौवल)
- कुरमाली लोक साहित्य : लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व।
- लोकगीत : डौंडधरा गीत (पांतागीत), करमगीत, बिहारगीत, डमकच, ढपगीत।
- कहानी : सबरनाखा नदीक जन्म, सात भाई एक बहिन, करमा-धरमा, पुइतू बूढ़ा।
- निबंध : शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार, टुसू परब।
- साहित्यकार : डॉ० नन्द किशोर सिंह, लखीकान्त मुतरुवार, केशव चन्द्र टिडुआर।

हो

- हो व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पुरुष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, पहेली आदि।
- साहित्य :-
 I. पद्य संग्रह
 II. गद्य संग्रह

- (i) पद्य साहित्य :- लिटा मसुरि बिर विरड्, मा अरदास, बा अटेडाकन दिसुम बनो, जुलोः चा, एना दो ओकोन दिसुम तोरं।
- (ii) गद्य साहित्य :- बहरोत, गिंदरू देयोआं, मुनु दोस्तुर अर मागे पोरोव, बा पोरोव एंगा हयम ममरं, कक्हारम्बड, नुड़हाम, सिंग दिसुम।

खोरठा

1. गद्य भाग

2. पद्य भाग

सहायक पुस्तक-खोरठा गद्य-पद्य संग्रह

- (क) प्रकाशक-खोरठा साहित्यः साहित्य संस्कृति परिषद् बोकारो
- (ख) खोरठा निबन्ध-लेखक- डॉ० बी०एन० ओहदार
- (ग) डाह नाटक - सुकुमार
- (घ) फरीछ डहर (कहानी संकलन) - लेखक- पंचम महतो

पद्य साहित्य :-

सहायक पुस्तकें :-

- (क) एक पथिया डोगल महुआ- लेखक- सन्तोष महतो
- (ख) सौंध माटी - डॉ० विनोद कुमार

कविता भाग

- (ग) डिडांक डोआनी- लेखक- वंशी लाल वंशी
- (घ) तातल और हेमाल- लेखक- शिवनाथ प्रमाणिक

कविता संग्रह

3. खोरठा व्याकरण - लेखक- ए०के० झा
4. निबंध- समसामयिक विषय पर

खड़िया

1. व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, बुझावल आदि।
2. साहित्य :-
- (क) खड़िया लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास, अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, खड़िया जाति।

- (ख) लोकगीत – जाड.कोर, करम, बन्दोई, जनम पर'ब, कदलेटा, मुरड', कसासिड।
- (ग) लोक कहानी – कथा कभनेइत
- (घ)निबंध – शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड. कोर, करम, जनम पर'ब।
3. साहित्यकार— 1. प्यारा केरकेट्टा 2. पौलुस कुल्लू 3. जुलियुस बा' 4. डॉ0 रोज केरकेट्टा 5. जोवाकिम डुंगडुंग

पंच परगनिया

1. पंचपरगनिया व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, जीव-निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल आदि।
2. साहित्य-पंचपरगनिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास।
3. लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत – पुसगीत, बिहा गीत, सँहरइ गीत, करम गीत, मंत्र आदि।
4. लोक कहानी- पँठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाइ, सिआर केर फेउ बुढ़ा मुड़ेना लगाबे, भादा, बुधुवा आदि।
5. निबंध- गोड़डीह केर वन अंचल, मुण्डाओं का गाँव धरमपुर, गीत-गोविन्द आर बइउकि, आदि।
6. शिष्ट गीत/कविता-चंचलमन, उदवेग, रोक, दुख आदि।
7. साहित्यकार-ज्योति लाल माहादानी, दीन बन्धु महतो, चन्द्र मोहन महतो, परमानन्द महतो, करमचन्द्र अहीर।

संताली

1. व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोवोल
2. साहित्य :-

संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, संतालों का उद्भव और विकास।

लोकगीत – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम, दोड. सेरेज

कहानी— आगिल हापड़ाम कोवा: काथा, सोहराय, कविता, सोपोदान

निबंध-सिदोकन्हू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल डिबा किसुन, बिरसा हुल

साहित्यकार— डोमन साहु समीर, भागवत मुरमू ठाकुर, दिगम्बर हाँसदा, ठाकुर मुरमू ठाकुर, बाबूलाल मुरमू, केवलराम सोरेन, आदित्य मित संताली आदि ।

उड़िया

1. गद्य विभाग :-

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| I. स्वाधीन चिन्ता | — | विश्वनाथ कर |
| II. ओड़िया जाति किए | — | गोपबन्धु दास |
| III. क्षमा | — | मायाधर मानसिंह |
| IV. जातीय जीवन ओ संस्कृति | — | गोलक बिहारी धल |
| V. लेखकर संसार | — | किशोरी चरण दास |
| VI. मधुसूदन | — | चन्द्रशेखर रथ |

सहायक पुस्तक : गद्य धारा (ओड़िशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

2. पद्य विभाग :-

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| I. एणु कपोत गुरु मोर | — | जगन्नाथ दास |
| II. मो जीवन पछे नर्के पडि थाउ | — | भीम भोइ |
| III. मुँ हाट बाहुड़ा | — | फकीर मोहन सेनापति |
| IV. उठ कंकाल | — | गोदावरीश मिश्र |
| V. ग्रामपथ | — | बिनोद चन्द्र नायक |
| VI. शरत ऋतुर जन्ह — | — | गुरु प्रसाद महान्ती |

सहायक पुस्तक :- पद्य धारा (ओड़िशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

3. नाटक :-

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| I. बक्सी जगबन्धु | — | मनोरंजन दास |
| II. अभियान | — | कालीचरण पट्टनायक |

4. काव्य :-

- | | | |
|------------|---|---------------|
| I. पल्लिशी | — | सच्चि राउतराय |
| II. चिलिका | — | राधा नाथ राय |

5. व्याकरण :-

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, अव्यव, क्रिया, संधि, समास, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकपदी करण, साधारण अशुद्धि ।

संस्कृत भाषा

ये प्रश्न इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे । झारखण्ड राज्य में इण्टर स्तर पर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक ऋतिका (भाग-1 एवं भाग-2) के सभी पाठों के विषय तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न इसमें मुख्य रूप से शामिल किये जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त शब्द रूप तथा धातु रूप इनमें शामिल होंगे—

शब्द रूप

बालक, फल, रमा, पति, मति, वारि, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधू, पितृ, मातृ, कर्तृ, राजन्, गच्छन्, भवत्, आत्मन्, विद्वस, यत्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद् ।

धातु रूप (लट, लोट, लृट, लङ्, तथा विधि लिङ्ग लकारों में)

पठ्, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश्, अस्, भक्ष्, घ्रा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश्, चर, कथ्, कृ, ज्ञा, शक्, तथा क्री ।

अनुप्रयुक्त व्याकरण

कर्ता, क्रियापद चयन, समानार्थक, विलोमार्थक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेष्य, विशेषण, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ।

कारक, उपपद विभक्ति प्रयोग, वाच्य परिवर्तन (केवल लट् लकार में)

नागपुरी

1. **व्याकरण :-** वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द ।

2. साहित्य :-

(क) नागपुरी लोक लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौवल, कहावत, मुहावरे ।

(ख) लोकगीत में— फगुआ, डमकच, अंगनई, मरदानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुवा, झुमटा ।

(ग) लोक कथा से — वन हरनी कर बेटा, बुधू भंडारी, भाई—बहिन, बालमइत रानी ।

बनफूल भाग — एक— (नागपुरी गद्य—पद्य संग्रह)— डॉ० कुमारी वांसी ।

मुण्डारी

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल
2. **साहित्य** :- मुण्डारी लोक साहित्य- अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास।

लोकगीत :- बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि।

कहानी :- करम कहानी, पशु-पक्षी, जीव जन्तुओं की कथा, पहाड़ों की कथा, देवी देवताओं की कथा, कविता आदि।

निबन्ध :- बिरसा आन्दोलन उलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माडा परब, मुण्डाओं की उत्पत्ति।

साहित्यकार :-

1. डॉ० रामदयाल मुण्डा,
2. दुलय चन्द्र मुण्डा,
3. काण्डे मुण्डा

Bengali Language and Literature

(I) Prose, Poetry

(A) Jibansmriti- Rabindranath Thakur (Selected)

Shiksharambha, Ghar O Bahir, Bharitya rajak Tantra,
Kabita Rachanranbha, Shrikantha Babu, Pitri deb.

(B) Poetry (Selected) Madhukari- Kalidas Roy.

- i. Atrimunir Ashrame Shree Ram Chandra- Krittibas.
- ii. Ishwari Patani – Bharatchandra
- iii. Bangabhasa – Madhusudan Dutta
- iv. Nirjharer Swapnobhango – Rabindranath Thakur
- v. Hat- Jatindra Nath Sen Gupta
- vi. Kandari Hunshiar- Najrul Islam
- vii. Atharo Bachhor – Sukanta Bhattacharjee

(C) Grammar :-

Samas, Sandhi, Bagdhara, Vinnarthak Shabdojngal.

(D) Essay – (One)

संताली भाषा

खण्ड 'क'

(i) **व्याकरण** — भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ मुहावरे, भेनताकाथा, बुझोबोल, कुद्रुम, सजीव-निर्जीव, समोच्चरण भिनार्थक अर्थ, लकोक्ति।

खण्ड 'ख'

(ii) **साहित्य** —

संताली लोक साहित्य — अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, संतालों का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, पर्वत्यौहार, संस्कार विवाह, मृत्यू।

लोक गीत — डाहार, बाहा, सोहराय काराम, दोड, विबाह, दाँसाय।

संताली शिष्ट साहित्य — कविता-कुडकुरुबुद, (हरिहर हाँसदा), साँवहेत्, (बादल मुर्मू), माराडोः, (सारदा प्रसाद किस्कू), सेंगेल, बिरसा मुण्डा, (के० सी० टुडू), तुपुनघाट, (रघुनाथ टुडू), साना (डमन हाँसदा), राहला रिमिल (डमन हाँसदा), चेहरा (श्यामचरण हेम्ब्रम)।

खण्ड 'ग'

लोक कथा — धारती सिरजाव काथा, मानवा सिरजाव काथा पारिस काथा, सेंदराकारका काथा, पाराब पुना काथा।

कहानी— माड़घाटी, (दिगम्बर हाँसदा), तारा आजचार, (के० सी० टुडू), आनखा लाहा, (सोभानाथ बेसरा), काथा रेनाड गोनोड, (चमपावती टुडू)

नाटक — किरिज सिंदुर, तिलका मुरमू।

निबंध — सिदो कानहू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल, डिबा किसुन हुल, बिरसा आन्दोलन, पर्व-त्यौहार, आगिल हापड़ाम कोवा: काथा।

खड़िया भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण — वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाच्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

(1) लोकगीत :- खड़िया लोकगीत की परिभाषा, वर्गीकरण 10 विविध लोकगीत

(2) शिष्टगीत :-

1. सेनेल — नुवस केरके'ट्टा
2. जोहार — प्यारा केरके'ट्टा
3. गलगाथा क्रूस दारु तों'मलुड ताय — पादरी सामुएल बागे
4. दुरडनानिड आलोडनानिड दारु तेगा — श्री सामुएल बागे
5. ए अपा
6. सेनेल
7. धाइन तेरतेले
8. कि'तुड' अपा
9. उमिज चोना — डॉ. अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
10. भंइहर पो'दा — सुं. प्रफुल्ल सोरेड

(3) कविताएँ :-

1. लमलम — प्यारा केरके'ट्टा
2. 26 जनवरी — प्यारा केरके'ट्टा
3. महाजियोम गाँधी — प्यारा केरके'ट्टा
4. झाड़ी धरम मोज — प्यारा केरके'ट्टा
5. किनिर— प्यारा केरके'ट्टा
6. घोल मोलोय अगस्त
7. लोटा' डा' — मेरी एस. सोरेड
8. नेडा' साड़ा
9. बेताड
10. आदिबासी अम' कहनी

खण्ड 'ग'

खड़िया गद्य साहित्य

(1) लोक कथा :- (दस लोककथाएँ) – अनुष्ठान संबंधी कथाएँ, हास्य-व्यंग्यपूर्ण कथाएँ, अलौकिक तत्वों से युक्त कथाएँ, पशु-पक्षी संबंधी कथाएँ, सामाजिक कथाएँ तथा परी कथाएँ।

- (1) सुगी ओडो' मुनी
- (2) कुली बूढ़ी
- (3) ढेला रो उल'
- (4) कोन्होर रो लोडगोय
- (5) टेटेटोहों'ज
- (6) साँखी रो कोइली
- (7) कोनजो' के'ढिड
- (8) चुटिया रो केंडो'ड
- (9) कुरकुर से बेइचडोम
- (10) लिटिया ओडो' चुटिया

(2) शिष्ट कहानी (आधुनिक कहानियाँ) :-

- (1) मोज बिता ला'ज – प्रो० मेरी एस० सोरेड
- (2) लूर धो' मसटर – सु० पतरस बा'
- (3) बोरजा' – प्रो. मेरी एस० सोरेड
- (4) बुधवा' कोरमो – सु. पतरस बा'
- (5) महाकिमिन – सु. कुमार बा'
- (6) जिनगी उम बोनेता बायना होयता – सु. जुएल सोरेड
- (7) राजा बेटा' बराकाईत – श्री जुलिमुस बा'
- (8) इना सुग्गी उम तोरो'ताम – रोज टेटे

(3) खड़िया नाटक :- सिलिम खोड़ी या' सोमरा – इलियस बा'

(4) साहित्यिक निबंध :-

- (1) प्यारा केरकेट्टा
- (2) जुलियुस बा'
- (3) डॉ० रोज केरकेट्टा
- (4) डॉ० माथियस डुडडुड
- (5) डॉ० जोवा किम डुडडुड
- (6) डॉ० आर. पी. साहू
- (7) डॉ० अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
- (8) डॉ० मेरी एस. सोरेड

Odia Language and Literature

1. Grammar :-

Barna, Shabdagathana, Linga, Bachana, Karaka, Bibhakti, Sandhi, Samasa, Yugma Shabda, Bhinnarthaka Shabda, Anekarthaka Shabda, Biparitarthaka Shabda, Krudanta, Taddhita O Chhanda, Alankara.

2. Bhasha Bhaga :-

- A. Bhasha
- B. Upabhasha
- C. Bhasha Parivartanara Karana O Diga
- D. Dharoni Parivartanara Karana O Diga
- E. Artha Parivartanara Karana O Diga

3. Padya Bhaga :-

- A. Loka Geeta (Doli Geeta, Karama Geeta, Tusu Geeta, Bibaha Geeta O Kandana Geeta)
- B. Shrimad Bhagbat - Jagannath Das
- C. Rasakallola - Dinakrushna Das
- D. Tapaswini - Gangadhara Meher
- E. Kishora Chandrananda Champu - Kabisurya Baladeva Rath
- F. Kalijai - Godabarisha Mishra
- G. Kara Kavita - Gopabandhu Das
- H. Shriyachandaluni - Radhamohan Gadnayak

4. Gadya Bhaga :-

- A. Loka Kahani (Rupakatha, Upakatha, Osha O Bratakatha, Pashupakhyira Katha)
- B. Rebati - Fakir Mohan Senapati
- C. Aneka Smita Hasa - Manoj Das
- D. Chha Mana Atha Guntha - Fakir Mohan Senapati
- E. Paraja - Gopinatha Mahanti
- F. Konarka - Ashwini Kumar Ghosh
- G. Ghara Sangsara - Rama Chandra Mishra
- H. Abishkara - Manoranjan Das

पंचपरगनिया

खण्ड 'क'

व्याकरण :-वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

लोकगीत:-

1. पंचपरगनिया लोकगीत
2. लोकगीत की परिभाषा और महत्व
3. पंचपरगनिया लोकगीतों की विशेषताएँ
4. पंचपरगनिया लोकगीतों में भाव, रस, छंद और कला सुन्दरइ
5. पंचपरगनिया लोकगीतों में प्रकृति चित्रण
6. पंचपरगनिया करम गीतों के प्रकार
7. पंचपरगनिया विवाह गीतों का वर्गीकरण
8. पंचपरगनिया टुसू गीतों का वर्गीकरण
9. पंचपरगनिया विवाह गीतों का भाव सौन्दर्य
10. संहरइ गीतों का वर्गीकरण ।

शिष्टगीत / कविताएँ:-

1. सावन मास — सृष्टिधर महतो 'समीर'
2. झागड़ा — सृष्टिधर महतो 'समीर'
3. रावन बध — डॉ० चन्द्रमोहन महतो
4. जीवन पथेक फूल — परमानन्द महतो
5. जीवन पथेक फूल — राजकिशोर सिंह
6. बांबरा (कविता संग्रह) — दिनबंधु महतो एवं परमानन्द महतो
7. महुआ रस — सहोदर खंडित

खण्ड 'ग'

लोककथा:- पंचपरगनिया लोककथा, संपादक-परमानन्द महतो

1. करमा धरमा केर काथा
2. बारहा आर भालू
3. सतनाराइन काथा
4. जितुआ बरत केर काथा

5. बिऐजरी आर पाँचपरी
6. ठकुआ आर भिखुआ
7. मामा—भगिना
8. बिन बापेक छुआ
9. पँठी सनी
10. चालाक बिलाइ

नाटक:—1. इंजत — राजकिशोर सिंह

शिष्टकहानी:— जदि एसन हतक हले का हतक— संतोष साहु 'प्रीतम'

साहित्यकार:—

1. ज्योतिलाल महादानी
2. परमानन्द महतो
3. राजकिशोर सिंह
4. सृष्टिधर महतो
5. संतोष साहु 'प्रीतम'
6. दीनबंधु महतो
7. चन्द्रमोहन महतो
8. करमचन्द अहीर

नागपुरी भाषा

खण्ड— 'क'

व्याकरण :- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख'

पद्य साहित्य

1. **नागपुरी भाषा के लोकगीत :-** लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन ।

1. संस्कार गीत — 03
2. पर्व-त्योहार गीत — 03
3. श्रम गीत — 01
4. बाल गीत — 01
5. ऋतु गीत — 01
6. सामान्य गीत — 01

2. **शिष्ट गीत/कविताएँ :-**

(क) कविताएँ

1. जागा-जागा — सी. डी. सिंह
2. बिरसा तोर इयाइद में — क्षितिज कुमार राय
3. नागपुरक भाइमन — भीम महतो
4. जेठ मास आति — भरत नायक
5. तुलसी आउर कैकटस — धरेन्द्र प्रवाही
6. तोर बेतरा में — गिरिधारी राम गौड़ू 'गिरिराज'
7. नावाँ सालक नावाँ गीत — कुमारी बासन्ती
8. गाँव कर सांझ — पांडे रवीन्द्र नाथ राम
9. मुलुक भारत — अजीज अंसारी
10. जगत जननी — शकुन्तला मिश्र

(ख) गीत :-

1. पोड़िलो बरखा ऋतु — रघुनाथ नृपति
2. छोडु कपटी माया — बरजु राम
1. पापी प्राण छुटे नहीं झट के — महंत घांसी
4. ठरु दाता दिगम्बर — घासी राम

- 5 उमड़ि गगन घन घमंड — कवि कंचन
- 6 अरजुन कहत बियारी — जगनिवास नारायण तिवारी
7. संवत पैसठी साल — दृगपाल राम देवघरिया
8. कड़कि उठलक तलवारी — प्रफुल्ल कुमार राय
9. सावन घटा — नईमउद्दीन मिरदाहा
10. आजादी खातिर — रणविजय नाथ शाहदेव

खण्ड— 'ग'

गद्य साहित्य

1. नागपुरी लोककथा:— नागपुरी भाषा की कोई दस (10) लोककथाएँ:—

1. कंगन आउर चुरी
- 2 भाइग कर खेइल
3. टुसुट भेंडा
4. मयना आउर बुट
5. बेलमइत रानी
6. कमल आउर केतकी
7. चोचा चरइ आउर राजा
8. छोटकी रानी
9. बनहरिनी कर बेटा
10. बिन्दुलिया रानी

2. शिष्ट कथाएँ:— नागपुरी भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ:—

1. एक चकता रउद — प्रफुल्ल कुमार राय
2. बिंझिया — शारदा प्रसाद शर्मा
3. रद्दी कागज — डॉ. बी.पी. केशरी
4. क्रिसमस कर सांझ — डॉ. कुमारी बसन्ती
5. भोटांग डहर — पंचम साहु
- 6 मनपुरन — रणविजय नाथ शाहदेव
7. भाइग — प्रमोद कुमार राय
- 8 मांदी — डॉ. उमेश नंद तिवारी

3. नाटक — ठाकुर विश्वनाथ साही — डॉ. विसेश्वर प्रसाद केशरी

4. साहित्यिक निबंध :- नागपुरी भाषा के किन्हीं आठ (8) साहित्यकारों का जीवन-परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन:—

नागपुरी के साहित्यिक निबंध

1. प्रफुल्ल कुमार राय
2. मृत्युंजय नाथ शर्मा
3. कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा
4. सहनी उपेन्द्र पाल नहन
5. डॉ. बी.पी. केशरी
6. नईमउद्दीन मिरदाहा
7. डॉ. गिरिधारी राम गौड़ 'गिरिराज'
8. डॉ. कुमारी वासंती

कुरमाली

खण्ड 'क'

व्याकरण:— वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

गद्य साहित्य

1. लोककथा :—

- (1) बांदना (सेंहेरेइ परब)
- (2) टसर राजा
- (3) निसारथि के भगवान सारथि
- (4) साधन
- (5) लिलुक कसनि
- (6) माछेक हांसी
- (7) पुइतू
- (8) सियारेक मांदेइर
- (9) राजा घारे बिहा
- (10) धीरजे कारज सिद्ध

2. आधुनिक कहानी —

- (1) छटपटी — बसंत कुमार मेहता
- (2) बानछा — डॉ० एच० एन० सिंह
- (3) दिसा — निरंजन माहतअ
- (4) ढेंकि सांप — सुनिल माहतअ
- (5) धखा — अनन्त माहतअ
- (6) धनेक गरब — डॉ० एच० एन० सिंह
- (7) मकरी — डॉ० एच० एन० सिंह
- (8) गाछ भगवान — डॉ० एच० एन० सिंह

3. नाटक — केरिआ बहु— कालिपद महतो

4. साहित्यकार:— डॉ० नन्द्र किशोर सिंह, लखीकान्त महतो, केशव चन्द्र महतो, बसन्त कुमार मेहता, अनन्त महतो, डॉ० मानसिंह महतो, खुदी राम महतो, डॉ० हरदेव नारायण सिंह।

खण्ड 'ग'

पद्य साहित्य

1. लोकगीत:— लोकगीत की परिभाषा, कुरमाली लोकगीतों का वर्गीकरण कुरमाली लोकगीत — विवाहगीत, डमकच, उधवागीत, ढपगीत डांडधरा गीत (पांतागीत), करम, एढ़ेइया, बादना (सोहराई) खेलगीत, बालगीत (छवा भुला गीत)

2. शिष्ट गीत :—

- (1) "जे विधि जनम देला, ताहा के बिसरी गेला।"
- (2) "सयने सपने देखी, पलके ना परे आँखी।"
- (3) "रितु बंसत भेल, मर पिया काहां गेल।"
- (4) "लाल कमल दहे, फूल माला उपजये।"
- (5) "वृन्दावने फुटीगेला, नाना जाति फूल गो।"
- (6) "भादर मासे सैया मर पड़ली बेजार, इमें नाचब कइसे।"
- (7) "सुइया मुही बुढ़ियांइ, जीवने सांतावली गो।" — भीमचरण
- (8) "पिया पिया जातिया, बरसा बिती गेल रे।" — बाउलदास
- (9) "आवल माधव बहे मन्द पवनवा।"—तुलसीदास
- (10) "आवल बरिसा हित, हुदकी उठल चित।"

आधुनिक कविताएँ :

- (1) उड़ीस
- (2) जागरण
- (3) गनति
- (4) एकटा गाछे दुइटि चेरैइ
- (5) जाहाँक झांक तारि
- (6) भगुआ पिंघाक तरहअ
- (7) बिडुल
- (8) बिसरिस ना मांइ
- (9) धंधौरा
- (10) तौय कन

Urdu Language and Literature

(A)

I. ZABAAN (LANGUAGE)

- (1) HINDUSTANI KA IRTIQA
- (2) URDU ZABAAN KI PAIDAISH: NAZARYAAT AUR HAQAIQ KA JAIZA
- (3) JHARKHAND KI QABAILI ELAAQAI ZABAANEN
- (4) JHARKHAND MEN URDU

(B)

II. QAWAID (GRAMMAR)

- (1) MUTRADIFAT, ISM MOSAGGHAR WA MOKABBAR
- (2) SAABIQA WA LAABIQA, ZARBUL MASL

(C)

III. SHAYERY (POETRY)

GHAZAL (1) ULTI HO GAYIN SAB TADBEEREN KUCHH NA DAWA NE KAAM KIYA (MEER)

- (2) FAQEERANA AAYE SADA KAR CHALE (MEER)
- (3) DILE NADAN TUJHE HUWA KIYA HAI (GHALIB)
- (4) DAYAM PADA HUWA TERE DAR PER NAHIN HUN MAIN (GHALIB)

NAZM (5) LENIN KHUDA KE HUZoor MEN (IQBAL)

- (6) EK AARZOO (IQBAL)
- (7) NISAR MAIN TERI GALIYON KE AYE WATAN KE JAHAN (FAIZ)
- (8) MUJH SE PAHLI SI MOHABBAT MERI MAHBOOB NA MANG (FAIZ)

(D)

III. NASR (PROSE)

NOVEL (1) FIRE AREA (ILYAS AHMAD GADDI)

AFSANA (2) PARINDA PAKADNE WALI GADI (GHAYAS AHMAD GADDI)

(3) NIRVAAN (ZAKI ANWAR)

(4) MRS. JOHN (SHEEN AKHTAR)

खोरठा भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:- खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उन्वयार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख'

पद्य साहित्य

1. **खोरठा भाषा के लोकगीत :-** लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन ।

1. संस्कार गीत (विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत) —03
2. पर्व-त्योहार गीत (करम गीत —2, सोहराइ गीत— 1)—03
3. श्रम गीत —01
4. बाल गीत —01
5. ऋतु गीत —01
- 6 सामान्य गीत —01

2. **शिष्ट गीत/कविताएँ :-** खोरठा भाषा की दस (10) प्रतिनिधि कविताएँ एवं दस (10) गीत

(क) **कविताएँ** — एक पथिया डोंगल महुआ” (संकलन/संपादक— संतोष कुमार महतो) से प्रथम दस (10) कविताएँ ।

(ख) **गीत :-**

1. माँदइर बाजे रे, बाँसी बाजे रे — सुकुमार
2. बोने पाकलइ सयौँ कोइर — दिनेश दिनमणि
3. सोहान लागे रे — शांति भारत
4. कते सुंदर छोटानागपुर — दीपक सवाल
5. हामर भारत महान — अम्बुज कुमार
6. मिली के रहिहा — प्रदीप कुमार दीपक
7. साँझे हाँसइ झींगा फूल — महेन्द्र नाथ गोस्वामी
8. बोन रक्षा जीवन रक्षा — अनीता कुमारी
9. सेंवातिक बाउँड़ी मेला — सुभद्रा कुमारी
10. जय माँय जननी — शिवनाथ प्रमाणिक

खण्ड— 'ग'

गद्य साहित्य

1. **लोककथा :-** खोरठा भाषा की दस (10) लोककथाएँ:-

1. सात भाय एक बहिन
2. धनेक धधइनी
3. बुढ़ा बुढ़ी आर सात पीठा
4. गुदपुचु रानी आर कउआ
5. गोहाइल परब
6. बुढ़ी आर ओकर नाती
7. दू बिहाक दुरगति
8. केतकी फूल
9. लुइरगर बेटी छउआ
10. खूँटा भितर चियॉ गोटा

2. **शिष्ट कहानी :-** खोरठा भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ :-

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. छाँहइर | 2. बोनेक लोर |
| 3. हाम जीयब कइसें | 4. नावा जिमीदार |
| 5. उबार | 6. जिनगिक डोंआनी |
| 7. ओद दीदा | 8. हुब |

3. **नाटक —** चाभी—काठी, लेखक — श्रीनिवास पानुरी

4. **साहित्यिक निबंध :-** आठ (8) साहित्यिक निबंध

1. भाइ—बहिन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम (निबंध)
2. फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता (निबंध)

5. **निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध :-**

भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी ए.के. झा, विश्वनाथ दसौधी 'राज', विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो 'श्याम'

हो भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:—वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

शिष्ट गीत

- (1) तेते: चन्दु
- (2) गोलनचि बा
- (3) अबुअ झारखण्ड
- (4) लको बोदरा
- (5) सिंगि
- (6) हर्ताहसा
- (7) जोनोम दिसुम
- (8) दुल सुनुम जुलो चा
- (9) अबुआ नमा भारत
- (10) दिसुम लगिङ

कविताएं:—

- (1) गुसिया — बागुन बोदरा
- (2) होयो गमा — पूर्णचन्द्र बिरुवा
- (3) जिनान बाड़ा — मदन बानरा
- (4) हुदा समाज — सोनेया कुमार तियु
- (5) जिबोन — नीरज जगमोहन सिंकु "चिनगारी"
- (6) राष्ट्रीय पर्व
- (7) जाति अन्धो दिसुम लगिङ
- (8) हर्ताहसा रे टोंयोल
- (9) अले जीबोन रे
- (10) नबु दिसुम रे

अपनी भाषा के लोकगीत —

- लोकगीत की परिभाषा
- अपनी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण

लोकगीत (विविध) 10 गीत (मागे गीत 3, बा गीत 4, विवाह गीत 3)

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा—

- (1) डोंडा हो
- (2) इचः बा
- (3) कृला ओन्डोः बर्रान्ड
- (4) काः ओन्डोः रमिया गरोवा
- (5) हो ओन्डोः सेता
- (6) काना दादा
- (7) हपानुम
- (8) केपरा तुयु

2. शिष्ट कहानी —

- (1) मेंजारि — प्रिति तियु
- (2) डडु चनटु — दमयन्ती पिंगुवा
- (3) सीनी ओन्डोः अयः अपसराय किंग
- (4) चम्पु ओन्डो दोसमा
- (5) लोदे काका
- (6) सेंया होरा
- (7) सरजोम सकम (प्रदीप कुमार बोदरा)
- (8) हरावयन रयो दइयना

3. नाटक — षार होरा भाग —2

4. साहित्यिक निबंधः—

- (1) सामू चरण तुबिड
- (2) डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंकु
- (3) डॉ० जानुम सिंह सोय
- (4) घनश्याम गागराई
- (5) चन्द्र मोहन पाट पिंगुवा
- (6) डॉ० दमयन्ती सिंकु
- (7) डोबरो बुड़िउली
- (8) डॉ० प्रदीप कुमार बोदरा

मुण्डारी भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

1. लोकगीत:-
 - i. लोकगीतों की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण
 - ii. लोकगीत- 'बासुरी बज रही' पुस्तक से गीत सं०-11, 13, 214, 167, 349
- 'अनायुम दुराड' पुस्तक से गीत सं०-101, 104, 231, 252, 370
2. शिष्टगीत/कविताएँ:-
 - 'हिसिर' पुस्तक से गीत सं०-68, 77
 - 'सेलेद' पुस्तक से गीत सं०- 1, 4
 - बम्बरू पुस्तक से गीत सं० - 3, 4
 - ससं बा पुस्तक से गीत सं०- 56, 61
 - सुड़ा संगेन पुस्तक से गीत सं०- 13
 - मनोवा-मनोवा रे बिनगा बनो:अ

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा:-
 - 1 बा नेग
 - 2 कराम कानि
 - 3 सोराइ
 - 4 लीमन आद् रागोसा
 - 5 होन: चतुर
 - 6 गाड़ीअ: सोंगोति
 - 7 देशेपुती राजा
 - 8 ए हगेया कोव: होन मिसी "पिरी"
 - 9 मेद आद् सोना दिदि
 - 10 गुपिन कोव: बा

2. शिष्ट कहानी—

1. कुलाए कोअः बलाए
2. बिर होनाः नावा इनुड
3. संदु आर बिंदि
4. बुरु कुला सेंदेरा
5. बिरसा जिमिदार कोअःए जगर एटेः जदा
6. रङ्गड़ा सअः एते एरे को अउजदा
7. बिरसा सिदा सिदाए सबोः तना
8. पिड़ियुद चेंडे तुदका रेए उकुः जन रअ कानि

3. नाटक— मरड, गोमके जयपाल सिंह मुण्डा

4. साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ:

1. बुद्ध बाबु
2. काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'
3. डॉ० रामदयाल मुण्डा
4. डॉ० मनमसीह मुण्डू
5. भैयाराम मुण्डा
6. डॉ० एस. ए. बी. डी. हंस
7. डॉ० मनसिद्ध बड़ायरुद
8. मेनास ओड़ेया

बांगला भाषा

1. GRAMMAR : KARAK, BIBHAKTI, EK BAKYA PRAKASH

POETRY:

A.) SANCHAITA

: Rabindranath Thakur

- Parash Pathar
- Ebar Firao More
- Aamar Matha Nato Kore
- Balaka
- Eaikyataan

B.) MADHUKARI (EDITED BY KALIDAS ROY)

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| a) Era Jadi Jane | - | Kamini Roy |
| b) Jiban Bandana | - | Kaji Najrul Islam |
| c) Aar Kichhu nahi Sadh | - | Budhadev Basu |
| d) Purano Kagojer Feriwala | - | Premendra Mitra |
| e) Hat | - | Jatindranath Sen Gupta (Kabita Sankalan) |

PROSE:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| a) Krishnakanter will | - | Bankim Chandra Chattopadhyay |
| b) Pather Panchali | - | Bibhuti Bhushan Bandopadhyay |
| c) Mukut (Drama) | - | Rabindranath Thakur |
| d) Sajano Bagan (Drama) | - | Manoj Mitra |
| e) Sahityer Rup O Reeti: | | |

Mahakabya, Geetikabya, Tragedy, Comedy.

Literary Essay:-

1. Micheal Madhu Sudan Dutta
2. Bankim Chandra Chattopadhyay
3. Rabindranath Thakur
4. Sharat Chandra Chattopadhyay
5. Kaji Nazrul Islam
6. Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
7. Tarashankar Bandopadhyay
8. Jibonanando Das

कुँडुख खण्ड—क

कथअइनः— तोडन अख'आ, पिंजका, उइजी पिंजका, मेःद, गनया, ननतु'उद, गुणखी, परिया, ननना (नलड), समका, अव्यय, वाच्य, बकपून ही डाड़ा, बिड़दो बक्क, संगी बक्क।

खण्ड —ख

पद्य साहित्य

1) **डंडी** — डंडी ही बकसोर, डंडी घी डाड़ा, बेंजा डंडी, करम डंडी, खद्दी डंडी, असारी डंडी, धुड़िया डंडी, जदुरा डंडी, जतरा डंडी, लुझकी डंडी, तोःकना डंडी, जेट्ठे डंडी।

2) **कथडंडी :**

टीप :

1) परिदका जातियर	6) जिया खोदखर'ई
2) असारी करम	7) छोटानागपुर
3) अचरन ची अयंग	8) खेखेल खजंपा
4) खेखेलन कम'आ सोना	9) जूःडी
5) अड़खा—चेखेल	10) नीन जूःडी

खण्ड —ग

गद्य साहित्य

1) **खीरी :**

टीप:

1) असुरर दरा लोधरर	(6) पुरखर गहि कुंडी
2) कुँडखर गहि रुइदास ती भोंगना	7) चन्दो अरा बीःडी
3) मुन्धता कुँडखर गहि खीरी	8) मानी गहि दिन जीत मनी
4) चिच्च—चेंप	9) कुँडखर गहि नेग धरम
5) करमस अरा धरमस	(10) लूर मलका देवान

2) **कथ खीरी :**

टीप :

1) अंजेला	(5) झरियो मला झरना
2) पचगी परिया	6) ठक'उर उन्दुल ठकरनर
3) कुकोय बरात	7) उढारी
4) लॉटरी	8) सक्क

3) **लीला (नाटक)**

4) **कथपंडी कथटूड**

उराँव साहित्यकार—

• डॉ० निर्मल मिंज	• डॉ० हरि उराँव	• दवले कुजूर	• अहलाद तिकी
• इन्द्रजीत उराँव	• बिहारी लकड़ा	• बेचन उराँव	• पी०सी० बेक

हिन्दी

1. भाषा

हिन्दी की उत्पत्ति

पुरानी हिन्दी अवहट्ट

डिंगल

भाषा के विभिन्न रूप :- रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, संचार भाषा।

हिन्दी का शब्द भंडार:- तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशज।

भाषा विज्ञान :- भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन।

साहित्य सिद्धान्त :- काव्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, शब्द-शक्ति, रस, छंद, अंलकार।

पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त:-प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइ0ए0 रिचर्ड्स, टी0एस, इलियट के सिद्धान्त।

प्रयोजनमूलक हिन्दी :- अवधारणा, प्रशासनिक हिन्दी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन।

2. साहित्य

(क) काव्य

निर्धारित कवि- विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण।

(ख) काव्य वीथि

निर्धारित कवि- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल।

3. उपन्यास

क. गोदान — प्रेमचन्द।

ख. मैला आँचल — फणीश्वर नाथ रेणु।

ग. रागदरबारी — श्रीलाल शुक्ल।

4. कहानियाँ

क. मधुआ — जयशंकर प्रसाद

ख. ठाकुर का कुआँ — प्रेमचन्द

ग. नीलम देश की राजकन्या— जैनेन्द्र कुमार

घ. परिन्दे — निर्मल वर्मा

ड. दिल्ली में एक मौत— कमलेश्वर

च. वापसी — उषा प्रियवंदा

छ. अभिशप्त — यशपाल

ज. मिसपाल — मोहन राकेश

5. नाटक

- क. भारत-दुदर्शा- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
ख. ध्रुव स्वामिनी- जयशंकर प्रसाद
ग. आधे- अधूरे- मोहन राकेश

हिन्दी साहित्य का इतिहास-

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास- रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास- सं० डॉ० नागेन्द्र

व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे।

English Language and Literature

1. Language
 - I. Error Recognition
 - II. Fill in the Blanks
 - III. Vocabulary
 - IV. Spellings
 - V. Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.
 - VI. Sentence Structure
 - VII. Synonyms
 - VIII. Antonyms
 - IX. Sentence Completion
 - X. Idioms & Phrases
 - XI. Comprehension Passage etc.
2. Literature
 - **Novel**- Old man and the Sea- Earnest Hemingway; The Painter of signs- R.K. Narayan; The Power and the Glory- Graham Greene; Fasting, Feasting- Anita Desai
 - **Drama**- The Tempest- William Shakespeare; Dr. Faustus- Christopher Marlowe; Final Solutions- Mahesh Dattani, Hayavadana- Girish Karnard.
 - **Poetry**- Sonnet-29- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; The Traveller- Walter De La Mare; Lead Kindly Light- Cardinal Newman; the Splendour Falls- Alfred Lord Tennyson; Ode to a Nightingale - John Keats; The Hollow Men- T.s. Eliot; Telephone conversation- Wole soyinka; A River- A.K. Ramanujan
 - **Short Stories**- A Snake in the Grass- R.K. Narayan; The Castaway- Rabindranath Tagore; The man of the House- Frank O'Connor; The Flood- Kamala Markandaya; The country of the Blind- H.G. Wells; The basement Room- Graham Greene.
 - **Essay**- Voluntary Poverty- M.K. Gandhi; Discipline for Daily Life- Lewis Mumford; The Civilization of To-day- C.E.M. Joad; Letter to a Teacher- Nora Rossi and Tom Cole (Trans.); Kamala Nehru- Jawaharlal Nehru.
 - **History of the English Language** : A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies.
 - **Phonetics** - A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course in Phonetics - P. Ladefoged.

संस्कृत भाषा

1. भाषा विज्ञान,
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास,
3. वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद्)
4. वेदाङ्ग, (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द)
5. व्याकरण – स्वर-व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सन्धि, समास तथा वाक्य रचना पर आधारित होंगे।

पूर्वमेध (कालिदास), उत्तररामचरित (भवभूति), अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक), कादम्बरी (शुक नाशोपदेश), भिक्षुपाल वध (प्रथम सर्ग), किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) तथा शिवराज विजय ग्रन्थों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

शब्द रूप निम्न शब्दों के (सातों विभक्तियों में)

बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन्, साधु, भवत्, अस्मद्, युस्मद्, तत् (तीनों लिङ्गों में), सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस्, वस्तु तथा आत्मन्।

धातु रूप (लट्, लोट्, विधि लिङ्ग, लङ् तथा लृट् लकारों में)

पठ्, गम्, दृश्, पा, हन्, भू, अस्, नृत्, लिख्, दिश्, मुच्, स्था, यच्छ्, शच्, तथा अर्च।

Physics

1. (a) **GENERAL PHYSICS:** Vectors and properties of vectors, Relative velocity, Projectile, Uniform circular motion, work energy and power, Gravitation, and escape velocity, Kepler's laws of planetary motion, elementary idea of Surface tension, Angle of contact, viscosity elementary ideas.
 (b) **RELATIVITY:** Special theory of relativity and Lorentz transformation, Length contraction and time dilation, Velocity dependence of mass, Mass energy equivalence.
2. **Heat and thermodynamics:** Kinetic theory of gases, Zeroth Law of Thermodynamics, First law of thermodynamics, Isothermic and Adiabatic processes, Reversible and irreversible processes, Second law of thermodynamics, Carnot engine and its efficiency.
3. **Optic:** Simple and compound microscopes, Huygens's Principle, Interference of light, (elementary Ideas).
4. **Electrostatics and Magnetism:** Gauss's theorem and its applications, electric potential and field at a point due to an electric dipole, Capacitors and combination of capacitors (Series and parallel), Magnetic hysteresis, Classification of magnetic materials.
5. **Current Electricity:** Kirchhoff's law and its application to a Wheatstone bridge, Heating effect of current, Biot-Savart's Law, Faraday's law of electro-magnetic induction, Lenz's law.
6. **Atomic and Nuclear Physics:** Structure of an atom, Bohr's theory of hydrogen atom, Heisenberg's uncertainty principle, Schrodinger's equation.
7. **Electronics:** Intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction diode, Zener diode, half wave and full wave rectifiers, Transistors (P-N-P and N-P-N) and its characteristics in common-base and common emitter configurations, Decimal and binary systems and their inter-conversion, Basic logic and truth table, Boolean algebra.

Mathematics

1. Algebra

Set theory – Generalized De Morgan's Law, countable and uncountable sets, Set mappings.

Theory of Equations: Relation between roots and coefficients, Transformation of equation. Symmetric function of roots.

2. Differential Calculus

Functions, continuity and Differentiability, Successive Differentiation, Leibnitz Theorem, Partial Differentiation, Euler's Theorem Tangent and Normal.

3. Integral Calculus

Indefinite Integration of Trigonometric, Rational and irrational functions. Properties of Definite Integral, Reduction formula, differential Equation on first order, and 1st degree.

4. Co-ordinate Geometry

Standard Equation of Parabola, Ellipse. Hyperbola Tangents and normal. (Diameter Excluded)

5. Co-ordinate Geometry Three Dimension

Different coordinate systems and relation between them Direction cosines. Plane Straight Line

6. Trigonometry

De Moivre's Theorem and its application. Complex Argument, Gregory Series. Summation of Series.

BOTANY

1. Binomial Nomenclature of Plants with examples.
2. Cell structure of plants and function of cell organelles.
3. Structure and function of DNA.
4. Plant tissues, its structure and function.
5. Mitosis.
6. Parasitic and saprophytic mode of nutrition in plants.
7. Transpiration.
8. Photosynthesis and factors effecting photosynthesis.
9. Role of phytohormones in plants.
10. Reproduction in plants typical ecosystem, physics and biotic factors, food chain and energy flow.
11. Environmental pollution: Air, water and sound pollution and their control.

ZOOLOGY

1. Classification of animals up to class level with characters and examples.
2. Structure and function of Bio-molecules like Nucleic acid, protein, lipid, carbohydrates.
3. Mechanism of animal cell Division, Replication, Transcription and translation in prokaryotes and eukaryotes.
4. Mendel's Law of heredity, Sex determination in Drosophila and man. Linkage and crossing over, Human Genetic Diseases, Mutation and their role in evolution.
5. Physiology of Digestion, Circulation, and Excretion in mammals. Mechanism of Nerve impulse conduction and Reflex action.
6. Endocrine glands and their Hormones with special reference to reproduction.
7. Theories of Evolution Darwinism, Lamarckism and modern synthetic theory.
8. Human diseases, causative agents, symptom, prevention and their control. (caused by bacteria and viruses)
9. Deficiency diseases of Vitamins and Minerals.
10. Aquaculture, Apiculture, Sericulture and poultry farming and its economic importance.

CHEMISTRY

PART – I (INORGANIC)

1. Atomic structure – Fundamental particles of matter, atomic model- Rutherford's Hand's rule, Pauli's exclusion principle.
2. Periodic table, periodicity of properties, electro negativity, electro affinity and ionization potential.
3. Chemical bonding: Co-valent bond, Ionic bond, Hydrogen bonding, Vander Waal's forces.
4. Co-ordination chemistry: Double and complex salt, Werner's theory, Effective atomic number, valence bond theory in complexes.
5. General chemistry of Gr IB.IIA and IIB elements of periodic table, Extraction & Properties of Silver, Boron, Phosphorous & and Chromium. Properties, structure and uses of their compounds.
6. Preparation, properties, structure and uses of following compounds – Hydrogen peroxide, Ozone, Hydrazine, Hydroxylamine acid, potassium permanganate.
7. (a) Different theories of acids and bases, Hard and soft acids. Reactions in Liquid NH_3 .
(b) Principle involved in the separation of Captions, Solubility product, common ion effect.
8. Preparation, Properties, bonding and application of alkyls and aryls of Li and Sn.

PART-II (ORGANIC)

1. Hybridization in organic compounds, nomenclature of organic compounds.
2. Alcohols: Classification, Preparation, properties and distinction between different types of monohydric alcohols, phenols – preparation and properties, comparative acidic strengths of alcohols and phenols.
3. Carbohydrates: Classification and nomenclature, Glucose, Fructose, chain lengthening and chain shortening of aldoses, Conversion of glucose into fructose and vice-versa. Determination of open chain and ring structure of glucose.
4. (a) Preparation and synthetic use of maloinc ester&Grignard Reagent.
(b) Preparation, properties and use of urea and pyridine.
5. Explain Tetra valence of carbon, type of hybridization in organic radical Carbonium Ion & Carbanion, and their formation and stability. Effects in organic compounds: Inductive, Mesmeric, Hyper conjugation and resonance.
6. General Methods, Preparation, Properties of Mono carboxylic acid and their derivatives.
7. Types of isomerism – optical, geometrical and conformational, tautomerism.

8. (a) Synthetic polymers- Addition polymerization free radical vinyl polymerization, condensation polymerization, polyesters and polyamides.
- (b) Soaps and synthetic detergents, colour & constitution of dyes and their synthesis, Oils and fats.

PART- III (PHYSICAL CHEMISTRY)

1. Thermodynamics: System and surrounding, types of systems, heat work, Internal energy, Heat capacities and relation between them, Calculation of Q,W,E and H in isothermal and adiabatic expansions of gases, Efficiency and thermodynamic scale of temperature, Hess's law and kirchoff's law.
2. Characteristics of catalyst, preparation, purification, stability and properties of colloids.
3. Crystal Lattice, Unit Cell, Bravis Lattice, Bragg's equation.
4. (A) Gaseous states – Kinetic Theory of gases, Ideal and Real gases, Van der wall's equation, Critical Constants.
5. Rates of reaction, Mathematical Characteristics of simple Chemical reaction – I Order, II Order and pseudo Order, Determination of Order of Reaction, Arrhenius equation and its application.
6. Electro Chemistry – Specific Equivalent and Molecular Conductivity. Determination of Specific and Equivalent Conductivities, Effects of dilution on SP, equiv and molecular conductivity, Kohlrausch Law's, Emf of a cell and its determination.
7. Dipole Moment and its determination, refractive Index and Molecular refractivity, magnetic properties – Para magnetism & Ferro-Magnetism.

HISTORY

प्रथम खण्ड

1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत
2. मगध साम्राज्य की स्थापना –मौर्यवंश– चन्द्रगुप्त मौर्य तथा आशोक
3. विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ
4. हर्षवर्द्धन
5. अरबों का सिन्ध आक्रमण – कारण तथा परिणाम
6. विजयनगर की स्थापना
7. बाबर की उपलब्धियाँ
8. शेरशाह का शासन – प्रबन्ध
9. अकबर – राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति
10. मुगल साम्राज्य के पतन का – कारण
11. शिवाजी का शासन प्रबन्ध
12. औरंगजेब

द्वितीय खण्ड

1. पलासी एवं बक्सर के युद्ध –कारण, परिणाम एवं महत्व
2. लार्ड डलहौजी
3. 1857 की क्रांति – कारण तथा महत्व
4. राजा राममोहन राय
5. भारत छोड़ो आन्दोलन
6. कैबिनेट मिशन योजना
7. आद्योगिक क्रांति योजना
8. फ्रांस की राज्य – क्रांति–कारण तथा परिणाम
9. नेपोलियन बोनापार्ट – उत्थान एवं पतन
10. प्रथम विश्वयुद्ध – कारण तथा परिणाम
11. 1917 की रूसी क्रांति –कारण तथा परिणाम
12. द्वितीय विश्वयुद्ध – कारण तथा परिणाम

CIVICS

PART-I

Political Theory

1. Comparison between Traditional and modern Political Science.
2. **Behaviouralism**: Meaning and characteristics.
3. (a) **Liberty**: Political liberty, Economics liberty
(b) **Equality**: Social Equality, Economic Equality and relations between Liberty and Equality.
4. **Democracy**: Meaning and conditions for its success.
5. **Political Party**: meaning and functions.
6. **Public Opinion**: Meaning and conditions for the formation of public Opinions.
7. **Citizenship**: Methods of acquiring citizenship.
8. **Welfare State**: Meaning and functions.
9. **Gandhism**: Satyagraha
10. **Marxism**: Theory of class struggle.

PART –II

Indian Political System

1. Preamble of the constitution: Salient features.
2. Fundamental Right and Directive Principles of State policy.
3. President: Election process and Emergency Powers.
4. Lok Sabha and Rajya Sabha: Composition and Relation between the two.
5. Governor and Chief Minister: Appointment, power and functions.
6. Legislative Assembly: Composition & Functions.
7. Supreme Court and High court: Jurisdiction Election Commission.
8. Public Service Commission: Composition & Function.
9. Regionalism, Communalism & Naxalism.
10. Panchayati Raj: Importance of 73rd Constitutional Amendment Act.

Geography

Part –I

1. Nebular hypothesis of the origin of the earth
2. Structure of earth
3. Difference between Rock and Minerals
4. Mountains
5. Earthquake
6. Air's View on Isostasy
7. Weathering
8. Karst topography
9. Structure of Atmosphere
10. Plantation Agriculture
11. Iron and Steel Industry of India

Part-II

1. Physiographic of India
2. Climatic regions of India
3. Natural vegetation of India
4. Water power of India
5. Cotton textile industry of India
6. Distribution of Population of India
7. Agriculture regions of India
8. Physiographic of Jharkhand
9. Forest resources of Jharkhand
10. Fisheries of Japan
11. Distribution and production of Iron-ore of the world
12. Energy resources of the world: Coal and Hydel power

ECONOMICS

Part-I

1. Concepts of Micro and Macro economics.
2. Demand and elasticity of demand.
3. Cardinal and ordinal approach to consumer equilibrium, consumer surplus.
4. Law of returns. Price determination under perfect competition and monopoly.
5. Theories of the determination of rent, Wages, interest and profit.
6. Concept and functions of money, quantity theory of money, inflation and deflation.
7. Function of Central Bank and Commercial banks.
8. Principle of maximum social advantage, causes of the growth of public expenditure, ability to pay theory of taxation, taxable capacity, Public debt and its redemption, Budget.
9. Comparative cost of taxation, Gains from International trade.

Part-II

1. Causes of the backwardness of Indian Economy, Forest and forest policy of India, Energy Problem in India.
2. Types of unemployment- causes and its remedies, Poverty- causes & its remedies, I.R.D.P, N.R.E.P, R.L.E.G.P, Antodaya, MGNREGA, Food for work, SGRY
3. Indian population and Family welfare programmes.
4. Problems of Indian Agriculture, Cooperative farming, Problem of irrigation and irrigation policy of the Govt. of India.
5. Agriculture credit and role of commercial Banks, Cooperative Banks and NABARD in solving the problems of agricultural credit.
6. Rail Road Coordination in India.
7. Prospect and Problems of Iron and Steel, Cotton, cement and jute industries in India, Cottage Industry.
8. Role of Public Sector Industries in the economic development of India.
9. Difference between growth and development, Human resources and economic development, Role of state in the economic development of India.
10. Consequences of price rise, F.D.I and its effect on Indian economy.

ACCOUNTING

A. FINANCIAL ACCOUNTING

1(a): Theoretical Frame work

- i. Accounting as an information system, the user of financial accounting information and their needs. Qualitative characteristics of accounting information. Functions of accounting.
- ii. The nature of financial accounting principles- Basic Concepts and Conventions, Salient features of Accounting Standard.

(b) Accounting Process

From recording of a business transaction to preparation of trial balance including adjustments: Capital and Revenue expenditure & receipts. Preparation of trial balance, Profit and Loss Account and Balance Sheet (Sole Proprietorship only)

2(a): Business Income

- i. Measurement of Business Income- Net Income: Accounting period, the continuity doctrine and matching concept
- ii. Revenue: Concept, revenue recognition principles, recognition of expenses

(b) Preparation of financial statements of not for profit organizations

3 : Accounting for Hire Purchase and Consignment.

- i. Accounting for hire purchase transactions, journal entries, ledger accounts in the books of Hire Vendor and Hire Purchaser for large value
- ii. Consignment : Features, Accounting treatment in the books of consignor and consignee.

4 : Accounting for Inland Branches

Inland Branches, Dependent Branches only and Ascertainment of profit by Debtors Method

5 : Accounting of Dissolution of Partnership firm

Simple dissolution, Insolvency of all partners

6 : i. Inland Branch Accounting: Meaning, Objectives, Types of Branches, Accounting records of Branches in the books of Head Office- debtors method, final account method & stock and debtors method, Wholesale Branch accounting. Independent branches: concept, accounting treatment: important adjustment entries and preparation of consolidated profit and loss account and balance sheet.

ii. Departmental Accounting: Concept, Advantages, Difference between Branches and Departments, Allocation of Expense and unallocated expenses, Inter departmental

transactions, Valuation of unsold stock. Accounting treatment with a) Final account method and b) Statement form method.

iii. Consignment Accounting: Meaning, Sale and Consignment, Consignment Accounting- different types of commission including overriding commission, Valuation of unsold stock and wastage of stock.

iv. Joint venture Accounting: Joint Venture- Meaning, definitions, characteristics, advantages, differences with consignment and partnership. Accounting treatment- A) when only one co-venture maintains books of accounts, B) when all co-venture maintain books of accounts, C) when joint bank account is maintains,

7 : Depreciation: The nature of depreciation .The accounting concept of depreciation .factors in the measurement of depreciation. Methods of computing depreciation: straight line method and diminishing balance method; disposal of depreciable assets – change of method .Salient features of Accounting Standard (AS): 6 (ICAI).

8 : I. Insolvency Accounting. Meaning of Insolvency, Insolvency Laws and their Rules, Comparative study of P.T.A. and P.I.A, difference between Balance Sheet and Statement of Affairs & Profit and Loss account and Deficiency Account, Insolvency accounting as per P.T.A and P.I.A rule including Omission of items from records.

II. Accounting From Incomplete records: Meaning, Advantages and Disadvantages, Difference between Single entry system and Double entry system, Accounting including Conversion of Single entry System into Double Entry System.

CORPORATE ACCOUNTING

I: Accounting for Share Capital and Debentures

Issue, forfeiture and reissue of forfeited shares – concepts & process of book building. Issue of rights and bonus shares.

II: Final Accounts

Preparation of Profit and loss account and balance sheet.

III: Valuation of Goodwill and Valuation of Shares

Concept of calculation – Simple Problem Only.

IV: Amalgamation of Companies

Concepts and Accounting treatment as per Accounting Standard: 14 (ICAI) (excluding inter company holdings), Internal Reconstruction.

V: Accounts of Holding Companies/Parent Companies

Preparation of consolidated balance sheet with one subsidiary company, Relevant provisions of Accounting Standard: 21(ICAI).

VI: Cash Flow Statement

Concepts of Funds. Preparation of cash flow statement as per Accounting Standard(AS): 3(Revised)(ICAI): Indirect method only.

COST ACCOUNTING

I : Introduction: Meaning, Objectives and Advantages of Cost Accounting, Difference between financial, cost and management accounting, Cost concepts and classifications, Role of cost accountant in an organization.

II: Elements of Cost:

- a. Materials: Material/Inventory control – concept and techniques, Accounting and control of purchases, storages and issues of materials, Methods of pricing of material issues – FIFO, LIFO.
- b. Labour : Accounting and control of labour cost, Labour turnover and fringe benefits.

III: Overhead- Classification, Allocation, Apportionment and Absorption of overhead, Under and over absorption, Capacity costs

IV: Method of Costing -Contract Costing, Process Costing

V: Service Costing (only transport), Accounting System: Integral and non-integral systems, Reconciliation of cost and financial accounts.

VI: Marginal Costing and Break –Even Analysis Concept of Marginal Costs and Marginal Costing: Assumption of Marginal Costing, Advantages and Limitations of Marginal Costing; Break –Even Analysis: Break-Even Point, Margin of Safety.

BUSINESS STUDIES

1. BUSINESS ECONOMICS

Meaning, Nature, Scope and significance of Business economics, **Law of demand & supply,** Elasticity of Demand and its measurement, Method of Demand forecasting, Concept of Production Function, Break-even Analysis, **Consumer Behavior,** Utility approach, Law of diminishing marginal utility law of equimarginal utility, Indifference curves approach, Revealed Preference **Theory, Short run and Long run cost curves,** concept of total average and marginal revenue, Relationship between average revenue and marginal revenue, Price determination & firm equilibrium in short run & Long run under perfect, oligopoly, monopoly, monopolistic competition.

2. PRINCIPLE OF MANAGEMENT

Concepts and Nature of Management : Meaning, Characteristics- management as science or an art, management as a profession, diversity management, management as process, Management and Administration, levels of Management, skill of manager, Roles of a manager, Significance of management, Limitations of management, Business environment and its interaction with management, **Management Theory:** Approaches to management - Classical Neo classical and modern contributions to management thought - Taylor and Scientific theory Fayol and Administrative theory of Mayo and Hawthorne Experiments, **Planning:** Meaning, Process, Types, Principles, Limitations, Strategic Planning: meaning and process, MBO-Meaning, process and requirement for implementation, Planning premises - meaning and types, Forecasting-meaning and techniques, **Organizing :** Organization : Meaning, Process, Principles, Organization structure: Determinates and forms: Line, functional, line staff project, matrix and committees, Formal and Informal Organization, Span of Control- Meaning and factors influencing. Authority, Responsible and Accountability, Delegation: Meaning, Process, Principles, Centralization and Decentralization: Meaning, Degree of decentralization, Difference between delegation and decentralization, **Staffing:** Definition, factors affecting Staffing- The External and Internal Environment Identification of Job Requirement, Job Design, Recruitment, Selection (process and laminations of Selection Process), Leadership-Definition, Leadership Characteristics, **Controlling :** Meaning, Steps Types, Techniques, Significance, and Limitations, Meaning of Motivation, introduction to theories of motivation.

3. RESERCH METHODOLOGY

Introduction to Research Methodology - Meaning of Research, Significance, objective, motivation in Research, Types of Research, Concept of Hypothesis formulation, **Meaning of Research Design,** Need and Features of a good Design, Important concepts relating to Research design, Different research designs, **Sample Design-** Steps in Sampling Design, Characteristics of a good sample design, different types of sample design-probabilistic and nonprobabilistic, random sampling, **Method of Data Collection-** Primary data,

Secondary data collection of data through- Questionnaire and interview schedule, Difference between questionnaire and interview schedule, Case study method, **Interpretation of Data and Report writing-Meaning** and technique of interpretation, graphical representation of Data, Significance of Report Writing, Layout of Research report.

4. **MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM**

Concept of information : Classification of Information, value of information, information & MIS, **Concepts, role importance of Management Information Systems**, MIS & decision make concepts, Herbert Simon Model, Concept & Philosophy of Information, Concept of Systems Analysis & Design (SAD) Planning, designing & implementation of MIS, The Concept of DBMS & RDBMS, Introduction of Enterprise Management System.

5. **ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS**

Definition & concept of Entrepreneurship, classification & types, nature & important entrepreneurs, Entrepreneurship & small business; Entrepreneurship & its environment & problem, **Choice of business**: Size of a business unit, optimum firm, representative firm, **Entrepreneurship development**-role of EDI's, NIESBUD, NSIC and DIC's In promoting entrepreneurs: the entrepreneurial process, Entrepreneurial decision making, **Entrepreneurship & Innovation** in product, service and organization, Sources of innovation, Innovation Process, Innovation versus Invention, **Preparing projects** - process, project writing, Sources of Finance for small business.

6. **BUSINESS LAW**

Nature, Meaning and Significance of Law, Society, State and Rule of Law, Sources of business Laws in India, **Contract Act-1872**- meaning and essentials of a valid contract; offer an acceptance, capacity of Parties, free consent, legality of object, consideration, void agreements, Contingent contract, Discharge of contract, quasi contract, remedies for breach of contract, Indemnity and Guarantee, Bailment and Pledge, Agency, **Indian Partnership Act-1932**: Definition and nature of Partnership, Registration of Firm incoming and Outgoing partners, Dissolution of Firms, **Negotiable Instruments Act-1932** Definition and nature of Partnership, **Registration of Firm** Incoming and Outgoing partners, Dissolution of Firms, **Negotiable Instruments Act-1881** :- Definition and Characters of Negotiable instrument, Promissory notes, Bills of Exchange and Cheques, Parties to Negotiable instrument, Dishonor of a Negotiable Instrument.

7. **HUMAN RESOURCE PALNNING**

Nature and Scope of HRM: Meaning, concept, definition, objective, function, evaluation of HRM, difference between HRM & PM, HRP- Definition, objective importance, process of HRP, **Deigning & Developing HR System**: factors influencing Hr forecast, forecasting labor-demand and supply , Job analysis, Job evacuation, **Recruitment and selection**: Meaning, definition, source and process of recruitment, selection: Meaning, concepts

selection process, methods of selection, tests & interview, **Human Resource Development**: Meaning concept, definition, objective, importance & steps in training programme, types of training- on the job and off the Job training, difference between training and development, **Performance appraisal**: Meaning, benefits, methods of performance appraisal system, Job enlargement, Job enrichment, transfer promotion.

8. SECURITIES & PORTFOLIO MANAGEMENT

Meaning and Concept of Securities & Securities market -Bonds, Stocks and Convertible securities, Market trading arrangements, Organized securities markets over the counter, Efficient Markets, regulations of securities markets, **Risk & Return** - Risk Classification; systematic & unsystematic risk. **A Brief understanding of methods of measurement of risk** - standard deviation, variance, regression equations correlation co-efficient, probability Distribution and statistical methods, Bond analysis, bond selection, common stock analysis, earning analysis, Technical analysis, fundamental analysis, efficient market theory.

9. INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial Relations : Meaning, objective, function, scope of industrial relations, **Industrial Relation Trends**: Salient trends in the industrial relations, issues in the country, **Collective Bargaining** : Meaning, definition, scope, concepts, importance, types of Collective Bargaining, process of Collective Bargaining, essential for Collective Bargaining, **Workers Participation in Management**: Concept, objective of PM, levels of participation, WPM Schemes of 1975, joint management council, **Grievance and Discipline**: Meaning, definition, scope need and importance of Grievance Handling, Grievance Handling procedure, disciplinary action- domestic inquiry, charge sheet.

10. BUSINESS ETHICS

Introduction, Ethics- meaning & concept, conflict between self interest & morality, dilemmas, Corporate Governance & Business Ethics, sustainability & reasons for sustainability, corporate governance & good company, Corporate Governance & the social responsibility of business, corporate governance & environment Responsibility of business, **Code of Ethics**- Meaning & Nature, conveying code for performance expectation, Ethical Issues & Dilemmas in the Place, Employee rights & duties, Organizational misconduct & Discrimination & prejudicial practices, Ethics & social responsibility in the market place, Ethics in Finance , marketing strategy, Ethical implication of technology.

SOCIOLOGY

Introduction to Sociology:- Origin and development of Sociology as an independent discipline, Sociology meaning, definition, nature and its Scope , Relationship of Sociology with other social sciences, Basic concepts- Society, Community, Association and Institution, Social Instruction- Family, Marriage, Kinship, Religion, Social Group- Meaning, definition and Classification.

Environment Studies:- Introduction to environmental studies, Ecosystem, Natural Resources- Renewable and Non- renewable Resources, Biodiversity and Conservation, Environmental Pollution, Environmental Policies & Practices, Human Communities and the Environment.

Introduction to Sociology:- Social change meaning, theory of evolution, and cyclical theory, Culture meaning and culture and personality, cultural lag, Social stratification, meaning, forms and theories (Marxian, Functional), Social mobility, meaning and types, Social structure elements, Function and its type.

Classical Sociological Thinkers:- August Comte, Pareto, Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim.

Research Methodology and Statistics:- Social Research, Scientific Method, Hypothesis, Sampling, Observation, Questionnaire, Schedule.

Rural Sociology:- Definition, Nature & Scope, Characteristics of rural Society in India, Rural Urban differences and rural urban continuum in India, Agrarian Movements in India, Poverty, Illiteracy, Labour unemployment & dominant caste, caste and Casteism in Rural India.

Urban Sociology:- Definition, Scope and Importance of Urban Sociology, Town, City, Industrial City, Rural Urban Contrast & continuum, Urbanization in India factors & Consequences, Urban Environmental problems, Poverty, Slums, Housing, Urban Community- Meaning & Characteristics.

परिशिष्ट – XV

प्रपत्र-1

पत्रांक

दिनांक

अनुभव/स्वच्छता प्रमाण पत्र (कक्षा-1-5)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान्/ श्रीमति/ सुश्री

.....

पिता/पति जन्म तिथि.....

पता.....

.....

.....दिनांक

से(..... वर्षमहीना) अवधि तक लगातार.....

.....विद्यालय में

सहायक अध्यापक (कक्षा-1-5) के रूप में कार्यरत हैं। उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषजनक रहा

है तथा इनके विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है।

नोट :-यदि मानदेय भुगतान अनियमित या सेवा में
कोई टूट हो अथवा कोई आरोप प्रतिवेदित हो
तो अभ्युक्ति में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

अभ्युक्ति:-

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

पत्रांक

दिनांक

अनुभव/स्वच्छता प्रमाण पत्र (कक्षा-6-8)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान्/ श्रीमति/ सुश्री

.....

पिता/पतिजन्म तिथि.....

पता.....

.....

.....दिनांकसे

.....(..... वर्षमहीना) अवधि तक लगातार.....

..... विद्यालय में

सहायक अध्यापक विषय-.....(कक्षा-6-8) के रूप में कार्यरत हैं।

उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषजनक रहा है तथा इनके विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है।

नोट :-यदि मानदेय भुगतान अनियमित या सेवा में
कोई टूट हो अथवा कोई आरोप प्रतिवेदित हो
तो अभ्युक्ति में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

अभ्युक्ति:-

क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मोहर)